तहसीलदार सदर, बिजनौर

जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र० सं०	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ कृत्य और कर्त्तव्य	राजस्व विभाग के तहसील स्तरीय भूमि से सम्बन्धित समस्त कार्यो का निस्तारण कर किसानो/ व्यक्तियों को लाभ पहुँचाना, कानून एवं शान्ति व्यवस्था, संग्रह कार्य, भूमिहीनों को भूमि आवंटन से सम्बन्धित कार्य, आवास आवंटन, विवादित भूमि से सम्बन्धित मामलो का धारा 34 एल.आर. एक्ट, धारा 122 जैड.ए. व एल.आर.एक्ट व धारा 186 जैड.ए. व एल.आर. एक्ट के अन्तर्गत सुनवाई कर निस्तारण करना। निर्वाचन से सम्बन्धित समस्त कार्यो का निष्पादन, शासन की मन्शा के अनुरूप समय–समय पर अभियान के रूप में अभियान चलाकर भूमिहीनों को भूमि आंवटन कर पट्टा वितरण करना, राष्ट्रीय अल्प बचत में योग दान कराना आदि। राजस्व विभाग/ तहसील स्तर से सम्बन्धित समस्त आंकड़ों को संकलित कर सूचनाएं पाक्षिक एवं मासिक/ त्रैमासिक / वार्षिक उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जाती है।
2	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली, प्रक्रिया जिसमें पयवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम से निम्न अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैः – तहसीलदार, तहसीलदार 'न्यायिक', नायब तहसीलदार बिजनौर/ दारानगर, मण्डावर प्रशासनिक अधिकारी, वासिल वाकी नवीस, सहायक वासिल वाली नवीस, राजस्व लिपिक, नायब नाजिर, पेशकार, अहलमदा नकल नवीस, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी, राजस्व निरीक्षक, चैनमैन, लेखपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण/ पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय तहसील बिजनौर शम्भा बाजार बिजनौर में स्थित है। ,
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान	जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी, नियन्त्रण अधिकारी का पद सृजित है जिनके नियन्त्रण रह सभी विभागीय अधिकारी/ कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते है।

5	अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	राजस्व विभाग द्वारा तहसीलदार, तहसीलदार 'न्यायिक', नायब तहसीलदार बिजनौर / दारानगर, मण्डावर प्रशासनिक अधिकारी, वासिल वाकी नवीस, सहायक वासिल वाली नवीस, राजस्व लिपिक, नायब नाजिर, पेशकार, अहलमदा नकल नवीस, रजिस्ट्रार कानूनगो, सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, संग्रह अमीन, संग्रह चपरासी, राजस्व निरीक्षक, चैनमैन लेखपाल तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। जिनके द्वारा धारा 34 एल०आर० एक्ट, 122 बी–जैड०ए० व एल०आर०एक्ट तथा धारा 186 जैड०ए० व एल०आर०एक्ट एवं तहसील स्तरीय समस्त कार्यो का निष्पादन सम्बन्धित कर्मचारी करते है। तथा शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है। जिनके लिए तहसील स्तर पर राजस्व अभिलेख कक्ष व संग्रह अभिलेख कक्ष की स्थापना की गयी है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये ये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा / उच्चाधिकारियो द्वारा, प्रदत्त, अभिलेखपूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं। नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विधमान है।	राजस्व विभाग द्वारा तहसील स्तररीय भूमि प्रबन्ध समिति गठित की जाती है जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते है और कार्यक्रम इनमें प्रस्तावित कराया जाता है जिसका अनुमोदन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा किया जाता है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियां और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो या दो अधिक व्यक्ति हो और जिसकी सीापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डो परिषदों समितियाँ तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सूलभ है।	तहसील प्रशासन की ग्रामीण स्तरीय बैठकों में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जन प्रतिनिधियों की राय ली जाती है। तदनुसार जन कल्याण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।
9	अपने अधिकरियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के अधिकारी / कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार अधिकारियों / कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक / वार्षिक आंकड़े जिला कलक्ट्रेट कार्यालय को प्रेषित / उपलब्ध कराये जाते है।

11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टो की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।	तहसील स्तर पर बजट जिला कार्यालय (कलक्ट्रेट) से प्राप्त होता है। बजट जिला स्तर पर राजस्व विभाग (मा० राजस्व परिषद उ०प्र०) लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12	सहायिकी कार्य{मों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्य{मों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्बन्धित है।	दैवी आपदा, मा० मुख्यमंत्री जी विवेकाधीन कोष आदि से बजट जिला मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जिसका नियमानुसार व्यय कर बिल समायोजित हेतु जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियों	शासन के निर्देशानुसार जनता की समस्याओं के समाधान हेतु तहसील दिवस, शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम के अन्तग्रत रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक दिन कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाता है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यारे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	तहसील द्वारा समस्त सूचनाएं उच्चाधिकारियों/जिला मुख्यालय को भेजी जाती है तथा आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मिडिया में प्रचार–प्रसार कराया जाता है तथा शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक तहसील दिवस कार्यवाही की सूचना वर्तमान में इन्टरनेट पर उपलब्ध करायी जा रही है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियों जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपायो के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को लोकवाणी केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध है। विभाग द्वारा समाचार पत्रो, सूचना पट, अभिलेखों का निरीक्षण व अन्य प्रचार–प्रसार के साधनों द्वारा व्यवस्था की गई है।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ	जन सूचना अधिकारी श्री राकेश कुमार गुप्ता तहसीलदार सदर बिजनौर, सहायक जन सूचना अधिकारी श्री विजय यादव नायब तहसीलदार मण्डावर, श्री विजय पाल सिंह यादव नायब तहसीलदार दारानगर व श्री मदन लाल राठौर नायब तहसीलदार बिजनौर।

rglhynkj lnj
fctukSj